संख्या 2207/जी0एस0(शिक्षा) / A3-132 / 2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

3 SEP 2024

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड   देहरादून दिनांक ~~अगस्त,~~ 2024

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 240216013608, दिनांक 24.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी (शहर), ग्राम–किशनपुर, पो0ओ0–कुंवरपुर, गौलापार, हल्द्वानी, नैनीताल को बी0ए0, बी0एससी0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी (शहर), ग्राम–किशनपुर, पो0ओ0–कुंवरपुर, गौलापार, हल्द्वानी, नैनीताल।	**बी0ए0** (हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृत एवं गणित)	80 सीट प्रति विषय	2023–24
		बी0एससी0–गणित ग्रुप (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित)	80 सीट प्रति ग्रुप	
		बी0एससी0–बायो ग्रप (वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान)	80 सीट प्रति ग्रुप	
		बी0एससी0 (भूगोल, भूगर्भ विज्ञान एवं कम्प्यूटर विज्ञान)	10 सीट प्रति विषय	

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, RO-MS, REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 03/09/2024 04:40 pm

I/2207/2024

		बी0कॉम0	80 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, शासन से समन्वय स्थापित करते हुए महाविद्यालय में भूमि, भवन, पुस्तकें एवं प्रयोगशाला इत्यादि मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा, यदि किसी भी मानक के अपूर्ण होने के कारण छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीय,

Signed by Ravinath Raman
Date: 02-09-2024 14:29:32

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव

संख्या : (1)/जी0एस0(शिक्षा)/**A3-132/**2022 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

Signed by Swati S Bhadauria
Date: 03-09-2024 13:29:30

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, RO-MS, REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 03/09/2024 04:40 pm